

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 30 अप्रैल, 1991

संख्या जे0 डी0-91/7469- पंजाब अनुसूचित सड़के तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उपधारा (I)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,भारत के राष्ट्रपति, गांव बेहलपा, जिला गुड़गांव के प्राथमिक विद्यालय के आस-पास के क्षेत्र को नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न नक्शे में दिखाये गये अनुसार उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं, अर्थात:-

अनुसूची

गांव बेहलपा, जिला गुड़गांव के प्राथमिक विद्यालय के आस-पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी0) 199/91, दिनांक 1 फरवरी, 1991 के साथ पढ़ा जाये:-

- उत्तर:** बिन्दु “ए” अर्थात गांव बेहलपा की आयत संख्या 9 की उत्तर पश्चिमी सीमा से लेकर, उसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 9 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ उसके बाद, दक्षिण की ओर आयत संख्या 9 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद पूर्व की ओर गांव सहजावास की आयत संख्या 47,48 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद दक्षिण की ओर गांव सहजावास की आयत संख्या 48,54 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद पूर्व की ओर गांव सहजावास की आयत संख्या 58 की उत्तरी सीमा , गांव बेहलपा की आयत संख्या 35,36,37,38,39,40 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु “बी” तक, जहां यह गुड़गांव-सोहना सड़क की पश्चिमी सीमा से मिलती है।
- पूर्व:** उसके बाद दक्षिण की ओर गुड़गांव से सोहना जाने वाली सड़क को पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु “सी” तक, जोकि गुड़गांव से सोहना जाने वाली सड़क के साथ आयत संख्या 22 की दक्षिणी सीमा का जंकशन है।
- दक्षिण:** उसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 और 15 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु “डी” तक, जोकि गांव खेरला की आयत संख्या 15 का दक्षिण पश्चिमी कोना है।
- पश्चिम:** उसके बाद उत्तर की ओर, गांव खेरला की आयत संख्या 15, 14 की पश्चिमी सीमा, गांव बेहलपा की आयत संख्या 52, 33 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद उत्तर की ओर गांव बेहलपा की आयत संख्या 33, 30, 12 और 9 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु “ए” अर्थात आरम्भ के बिन्दु तक।

डा0 तरसेम लाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 30th April, 1991

No. JD-91/7469- In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (B) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him the President of India is pleased to declare the area around Primary School at village Behlpa, dist. Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto to be a controlled area for the purposes of the said namely:-

SCHEDULE

Schedule of Boundary of the controlled area around Primary School at Village-Behlpa, Dist. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 199/91 dated 1st February, 1991.

- North:** Starting from point ‘A’ is the North-Western boundary of Rect. No. 9 of village Behlpa, thence towards East along the Northern boundary of Rect. No. 9 thence towards Southern Eastern boundary of Rect. No. 9 thence towards East along the Northern boundary of Rect. No. 47,48 of Village Sahjawas thence towards South along the Eastern boundary of Rect. No. 48,54 Village Sahjawas thence towards East along the Northern boundary of Rt. No. 58 of Village Sahjawas, Northern boundary of rect.No. 35,36,37,38,39,40 of Village Behalpa upto point where it meets the Western side of Gurgaon-Sohna Road.
- East:** Thence towards South along the western boundary of road from Gurgaon to Sohna upto point ‘C’ which is the junction of the southern boundary of Rect. No. 22 with the road from Gurgaon to Sohna.
- South:** Thence towards West along the southern boundary of Rect. No. 22,21,20,19,18,17,16 and 15 upto point ‘D’ which is the south-western corner of Rect. No. 15 of Village Kherla.
- West:** Thence towards North along the western boundary of Rect. No. 15,14 of Village Kherla Southern boundary of Rect. No. 52,33 of village Behlpa thence towards North along the Western boundary of Rect. No. 33,30,12 and 9 Village Behalpa upto point ‘A’ i.e. point of start.

DR. TARSEM LAL

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Town & Country Planning Department.